संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क./आई.डी.एस.पी./13/172 भोपाल, दिनांक 11.07.2013

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय:– आई.डी.एस.पी. कार्यकम के अंतर्गत मौसमी बीमारियों के दिशा निर्देश के संबंध में।

आई.डी.स.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी प्रकार महामारी फैलने पर संबंधित विभाग को उसकी सूचना देना एवं रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उचित कार्यवाही करना है जैसा की आपको विदित है कि वर्षा ऋतु में महामारी फैलने की संभवना अधिक रहती है। यदि मौसमी बीमारियों की एडवान्स फॉरकास्ट (Advance Forecast) की जावे एवं प्रोटोकॉल का पालन किया जाये तो इन बीमारियो को फैलने से रोका जा सकता है। अतः आपको निर्देशित कया जाता है कि :–

- आई.डी.एस.पी. की साप्ताहिक रिपोर्ट की क्षेत्र एवं डिसीज वाईस ग्राफिकल प्रेजेनटेशन बनाकर डाटा की एनालाईस कर 7 दिवस की विशेष बीमारियों फॉरकास्टींग डाटा राज्य सर्वेलेन्स इकाई को भेजा जाये।
- किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष बीमारी के आकडों में वृद्धि पाये जाने पर तुरन्त ही डोर टू डोर सर्वे, सेम्पल एकत्रित, एपिडिमियोलॉजिस्ट सर्वे कर रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें।
- समस्या मूलक ग्रामों को चिहिन्त कर एम.पी.डब्लूय, आशा एवं ए.एन.एम. की स्पेशल ट्रेनिंग दी जावे। जिसमें उन्हे विभिन्न जांचो जैसे रेपिड कार्ड टेस्ट के बारे में ट्रेण्ड किया जावे।
- समस्या मूलक ग्रामों एवं रोगप्रवण क्षेत्र की सभी आशा एवं हेल्थ वर्कर से रोजाना क्षेत्र की जानकारी फोन पर लेवे एवं राज्य सर्वेलेन्स इकाई को रोजाना ओ.के. रिपोर्ट भेजे।
- आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत भ्रमण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपने भ्रमण क्षेत्र में ऐसे स्थान/ग्राम/मोहल्ले/बस्ती आदि को चिहिन्त करेंगे जिसमें आउटब्रेक होने की संभवना है एवं संभावित क्षेत्र में पूर्व से ही स्थानीय लोगों को समस्त जानकारी देने के साथ–साथ जलशुद्धीकरण/लार्वा कलेक्शन/स्टूल सेम्पल आदि कार्य त्वरित कराये जावें।
- पहुच विहीन/दुर्गम क्षेत्रो में विशेषतौर पर भ्रमण किया जावे तथा संभावित आउटब्रेक की जानकारी सप्ताह पूर्व ही चाहे वह निरंक ही हो प्रतिदिन संचालनालय को भेजी जावे।
- पी.एच.सी., सी.एच.सी. स्तर पर वी.आर. मिडिया की उपलब्धता रखें ताकि दस्त के आउटब्रेक होने पर नमुनों को एकत्रित कर प्रयोगशाला भेजा जा सके।

पृष्ठ निरंतर.......2

- रिपोर्ट बनाने के पश्चात अपने जिले के अधिकृत अधिकारी के साथ साझा करे एवं अपने नजदीकी जिलों से भी रिपोर्ट साझा करे साथ ही अधिनस्थ, वारिष्ठ एवं जिला मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी को भी रिपोर्ट भेजे। (Two way Communication)
- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित रेपिड रिस्पॉन्स टीम की प्रत्येक माह मिटिंग लेवे।
- इंटर एवं इंटरासेक्टोरियल कॉरडीनेशन रखे।
- प्रत्येक दिन दूरभाष पर एक–दुसरे से समन्वय कर जानकारी एकत्रित करे।

  आशा ↔ ए.एन.एम. / एम.पी.डब्लूय ↔ सुपरवाईजर ↔ एम.ओ. ↔ बी.एम.ओ. ↔ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार ↔ राज्य सर्वेलेन्स इकाई
- अगर राज्य सर्वेलेन्स ईकाई को महामारी की जानकारी किसी अन्य स्त्रोत जैसे मिडिया से प्राप्त होती है तो अपने विरूद्ध होने वाली कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(डॉ. संजय गोयल)
भाप्रसे
संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म.प्र.

पृ.क. / आई.डी.एस.पी. / 13 /
भोपाल, दिनांक..

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
5. समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति (आई.डी.एस.पी.), म.प्र.।
6. समस्त जिला सर्वेलेन्स अधिकारी / जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र. की ओर पालनार्थ।

संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/7/लोक स्वा./2012/94 भोपाल, दिनांक 18/06/12

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।

समस्त सिविल सर्जन–सह–मुख्य अस्पताल, अधीक्षक मध्यप्रदेश।

विषयः– वर्षा ऋतु में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों एवं महामारी नियंत्रण के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक

(1) 7/लोक स्वा./13/09 दिनांक 16.01.2013
(2) 7/लोक स्वा./13/34 दिनांक 06.02.2013
(3) 7/लोक स्वा./13/54 दिनांक 19.03.2013
(4) 7/लोक स्वा./13/71 दिनांक 18.04.2013
(5) 7/लोक स्वा./13/78 दिनांक 16.05.2013

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा संचालनालय से पूर्व में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। आपको अवगत है कि प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है तथा मानसून पूरे प्रदेश में सक्रीय होने की संभावना है। मौसम के इस मोड़ पर जल प्रदूषण एवं वातावरण में नमी बढ़ जाने से अनेक बीमारियों विशेषकर संक्रामक बीमारियाँ फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस पृष्ठभूमि में यह अत्यन्त सामयिक होगा कि आप अपने क्षेत्र में इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

इसके लिये जिले में की गई विभिन्न तैयारियां की समीक्षा करें। मैदानी कार्यकर्ता से लेकर चिकित्सकों की उपस्थिति उनके कार्यक्षेत्र भी सुनिश्चित करे। आवश्यकतानुसार भ्रमण/पर्यवेक्षक बढ़ावे औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें तथा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों मे डिपों होल्डरों के पास आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करा दें। वर्षा ऋतु में मार्ग अवरूद्ध होने वाले सम्भावित ग्रामों/समस्त समस्या मूलक ग्रामों में यह उपलब्धता कम से कम दो माह के लिये पर्याप्त हो ऐसा सुनिश्चित कर ले।

विभिन्न स्तरों पर बनाई गई काम्बेट टीमों को सुदृढ़ एवं सजग रखें ताकि कही भी किसी क्षेत्र से सूचना मिलने पर तत्काल ये टीमें प्रभावित क्षेत्र में जा सके। इसके साथ–साथ जिलों में स्वास्थ्य विभाग अन्य सूचना तंत्र को अत्यंत मजबूत सजग बनाया जावे। प्रदेश में लगभग हर ग्राम डिपों होल्डर उपलब्ध है। सेक्टर प्रभारी, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता तथा आशाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि किसी भी ग्राम/शहर में बीमारी के प्रकरण होने पर उसकी सूचना अपने विकासखंड अधिकारी को तत्काल मिल जावे और उसकी रोकथाम के कदम तत्काल उठाये जायें ।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होने दें तथा अपने जिले से संक्रामक बीमारियों की स्थिति पर निरंतर नजर रखे ताकि यदि महामारी फैलती है तो जानकारी हेतु निम्नलिखित दूरभाष पर तुरंत संपर्क करें।

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	दूरभाष क्रमांक	
		कार्यालय	फैक्स
1	डॉ. संजय गोयल संचालक, लोक स्वास्थ्य	0755–2421284 (फोन/फैक्स)	2421284
2	डॉ. शीला मीना उप संचालक, लोक स्वास्थ्य/ आई.डी.एस.पी.	0755–2527126 0755–4094192	(M) 9425008834 (M) 8109032597
3	राज्य स्तरीय महामारी नियंत्रण कक्ष,आई.ई.सी.ब्यूरो,जे.पी.अस्पताल परिसर भोपाल ।	0755–2552538 (फोन/फैक्स)	2552538

(डॉ. संजय गोयल)
संचालक, लोक स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./7/लोक स्वा./2012/ भोपाल, दिनांक /06/12

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्यं, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।

संचालक, लोक स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश